अनुदान संख्या 46 – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 46–DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)	
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	17955,03,00		18342,12,00	16867,28,42	–1474,83,58
पूरक	Supplementary	387,09,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					965,26,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	931,68,00		931,70,00	741,76,14	–189,93,86
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					162,26,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (147483.58 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 38709.00 लाख रु. की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.147483.58 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.38709.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 8 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	507760.00	557776.62	536919.30	–20857.32
पू.	S.	35503.00			
पु.	R.	14513.62			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2211" परिवार कल्याण	Major Head "2211" Family Welfare					
मू.	O.	676062.00				
पू.	S.	2402.00		762920.12	759942.27	–2977.85
पु.	R.	84456.12				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	156000.00				
पू.	S.	143.00		143.84	. .	–143.84
पु.	R.	–155999.16				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	440409.00				
पू.	S.	1.00		401618.42	374813.77	–26804.65
पु.	R.	–38791.58				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	5642.00				
				4110.00	4099.44	–10.56
पु.	R.	–1532.00				
मुख्य शीर्ष "3606" सहायता सामग्री तथा उपस्कर	Major Head "3606" Aid Materials and Equipments					
मू.	O.	6680.00				
				7480.00	7480.00	. .
पु.	R.	800.00				

(I) 195969.10 लाख रु. का प्रावधान सडसठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 194871.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य व्यय - अंतर्राष्ट्रीय भंडार मदों का समाशोधन और निपटान" - 300.00 लाख रु. चिकित्सा डिपों के एकीकरण की वजह से निधीयन पद्धति में बदलाव होने के कारण थे।

(ख) "लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय" -

(i) "जिला अस्पताल" - 6800.00 लाख रु. स्कीम को प्रवर्तित न किए जाने के कारण थे।

(ii) "स्वास्थ्य बीमा (शहरी स्वास्थ्य मिशन)" - 4200.00 लाख रु. नई स्कीमें शुरू न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" -

(क) "जन शिक्षा - अन्य प्रचार कार्यकलाप" - 121.00 लाख रु. जन प्रचार माध्यम योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) "प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में औषधियों और उपस्करों (वैक्सीन आदि के अलावा) की आपूर्ति पर व्यय" - 200.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्रों से मांग न होने के कारण थे।

(ग) "अन्य सेवाएं और पूर्तियां - सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं" - 140.00 लाख रु. पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन" -

(I) Provision of Rs.195969.10 lakhs remained wholly unutilised under sixty seven heads; of these Rs.194871.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" –

(a) "Urban Health Services – Allopathy – Other Expenditure – Clearance and Handling of International Stores" – Rs.300.00 lakhs – due to change in funding pattern owing to unification of medical depots.

(b) "Public Health – Other Expenditure" -

(i) "District Hospitals" – Rs.6800.00 lakhs - due to non-launching of the scheme.

(ii) "Health Insurance (Urban Health Mission)" – Rs.4200.00 lakhs - due to non-taking off of the new schemes.

(B) Major Head "2211" –

(a) "Mass Education – Other Publicity Activities" – Rs.121.00 lakhs - due to non-finalisation of Media Plan.

(b) "Reproductive and Child Health – Expenditure on Supplies of Drugs & Equipments (Other than Vaccines etc.) in Union Territories without Legislature" – Rs.200.00 lakhs – due to lack of demand from Union Territories.

(c) "Other Services and Supplies – Social Marketing Area Projects" – Rs.140.00 lakhs – due to non-receipt of complete proposals.

(C) Major Head "2552" –

(a) "FW – Direction and Administration" –

(i) ''क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय'' - 131.00 लाख रु.;

(ii) ''राज्य/ जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव - 2960.00 लाख रु.;

(ख) ''परिवार कल्याण - प्रशिक्षण'' -

(i) ''एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण'' - 670.00 लाख रु.;

(ii) ''स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र'' - 130.00 लाख रु.;

(ग) ''परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप-केंद्र'' - 14165.00 लाख रु.;

(घ) ''परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केंद्र'' - 300.00 लाख रु.;

(ङ) ''परिवार कल्याण - जन शिक्षा - सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच परियोजनाएं'' - 1687.00 लाख रु.;

(च) ''परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य'' -

(i) ''राज्य पीआईपी के लिए आरसीएच लचीला पूल'' - 29925.00 लाख रु.;

(ii) ''पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (प्रचालन लागत)'' - 1340.00 लाख रु.;

(iii) ''नेमी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की आपूर्ति'' - 14870.00 लाख रु.;

(iv) ''पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की आपूर्ति'' - 1290.00 लाख रु.;

(v) ''वैक्सीन आदि को छोडकर औषधियों और उपस्करों की आपूर्ति'' - 4000.00 लाख रु.;

(i) "Regional Health Offices" – Rs.131.00 lakhs;

(ii) "Maintenance of State/Distt. FW Bureau" – Rs.2960.00 lakhs;

(b) "FW – Training" –

(i) "Training of ANM/LHVs" – Rs.670.00 lakhs;

(ii) "Health & FW Training Centres" – Rs.130.00 lakhs;

(c) "FW – Rural Family Welfare Services – Sub-Centres" – Rs.14165.00 lakhs;

(d) "FW – Urban Family Welfare Services – Urban Family Welfare Centres" – Rs.300.00 lakhs;

(e) "FW – Mass Education – Information, Education and Communication – RCH Projects" – Rs.1687.00 lakhs;

(f) "FW – Reproductive & Child Health" –

(i) "RCH Flexible Pool for State PIPs" – Rs.29925.00 lakhs;

(ii) "Pulse Polio Immunisation Programme (Operating Cost)" – Rs.1340.00 lakhs;

(iii) "Supply of Vaccine under Routine Immunisation Programme" – Rs.14870.00 lakhs;

(iv) "Supply of Vaccine under Pulse Polio Immunisation Programme" – Rs.1290.00 lakhs;

(v) "Supply of Drugs and Equipments Other than Vaccines etc." – Rs.4000.00 lakhs;

(छ) ''परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां'' -

(i) ''राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार नियोजन सामग्री की नि:शुल्क आपूर्ति'' - 650.00 लाख रु.;

(ii) ''गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन'' - 300.00 लाख रु.;

(ज) ''परिवार कल्याण - अन्य व्यय'' -

(i) ''लोक - निजी भागीदारी - पीपीपी के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम में गैर -सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना'' - 269.00 लाख रु.;

(ii) ''मिशन लचीला पूल'' - 33417.00 लाख रु.;

(झ) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना'' - 642.00 लाख रु. (142.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित);

(ञ) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी'' -

(i) ''पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग'' - 5900.00 लाख रु.;

(ii) ''राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम'' - 1500.00 लाख रु.;

(iii) ''क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल'' - 6501.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) ''लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोदोलाई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर'' - 3100.00 लाख रु.;

(v) ''क्षेत्रीय पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान संस्थान, ऐजवाल'' - 1400.00 लाख रु.;

(g) "FW – Other Services & Supplies" -

(i) "Free Supply of FP Material to States/ UTs" – Rs.650.00 lakhs;

(ii) "Social Marketing of Contraceptives" – Rs.300.00 lakhs;

(h) "FW – Other Expenditure" -

(i) "Involvement of NGOs in FP Programme under Public-Private Partnership-PPP" – Rs.269.00 lakhs;

(ii) "Mission Flexible Pool" – Rs.33417.00 lakhs;

(i) "Urban Health Services – Allopathy – Central Government Health Scheme – Setting-up of Dispensaries and Hospitals" – Rs.642.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.142.00 lakhs);

(j) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" -

(i) "North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong" – Rs.5900.00 lakhs;

(ii) "National Cancer Control Programme" – Rs.1500.00 lakhs;

(iii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" – Rs.6501.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh);

(iv) "Lokpriya Gopinath Borodoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" – Rs.3100.00 lakhs;

(v) "Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal" – Rs.1400.00 lakhs;

(ट) ''लोक स्वास्थ्य - प्रशिक्षण - परिचर्या सेवाओं का विकास'' - 300.00 लाख रु.;

(ठ) ''लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण'' -

(i) ''राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 4511.00 लाख रु.;

(ii) ''राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 400.00 लाख रु.;

(iii) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 1200.00 लाख रु.;

(iv) ''राष्ट्रीय अंधता और रोहा नियंत्रण कार्यक्रम'' - 2500.00 लाख रु.;

(v) ''राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम'' - 13700.00 लाख रु.;

(vi) ''राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम'' - 320.00 लाख रु.;

(vii) ''राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम'' - 1200.00 लाख रु.;

(viii) ''राष्ट्रीय नशीली दवा व्यसनरोधी नियंत्रण कार्यक्रम'' - 132.00 लाख रु.;

(ड) ''लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय'' -

(i) ''राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम'' - 300.00 लाख रु.;

(ii) ''अभिघात केंद्रों संबंधी क्षमता निर्माण के लिए सहायता'' - 1400.00 लाख रु.;

(iii) ''तंबाकू मुक्ति संबंधी पहल'' - 600.00 लाख रु.;

(iv) ''स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन'' - 2200.00 लाख रु.; और

(k) "Public Health – Training – Development of Nursing Services" – Rs.300.00 lakhs;

(l) "Public Health – Prevention and Control of Diseases" –

(i) "National Vector Borne Disease Control Programme" – Rs.4511.00 lakhs;

(ii) "National Leprosy Control Programme" – Rs.400.00 lakhs;

(iii) "National T.B. Control Programme" – Rs.1200.00 lakhs;

(iv) "National Blindness and Trachoma Control Programme" – Rs.2500.00 lakhs;

(v) "National AIDS Control Programme" – Rs.13700.00 lakhs;

(vi) "National IDD Control Programme" – Rs.320.00 lakhs;

(vii) "National Mental Health Programme" – Rs.1200.00 lakhs;

(viii) "National Drugs De-addiction Control Programme" – Rs.132.00 lakhs;

(m) "Public Health – Other Expenditure" -

(i) "National Integrated Diseases Surveillance Programme" – Rs.300.00 lakhs;

(ii) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" – Rs.1400.00 lakhs;

(iii) "Tobacco Free Initiatives" – Rs.600.00 lakhs;

(iv) "Human Resources for Health" – Rs.2200.00 lakhs; and

(v) ''स्वास्थ्य बीमा (शहरी स्वास्थ्य मिशन)'' - 800.00 लाख रु.।

उपर्युक्त छत्तीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/ स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(vi) ''राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोग और हृदयघात के रोकथाम और नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम'' - 300.00 लाख रु. राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(vii) ''जिला अस्पताल'' - 700.00 लाख रु. स्कीम को शुरू न किए जाने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण - एकीकृत रोग निगरानी परियोजना'' - 1600.00 लाख रु. राज्य सरकारों से मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) ''परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - आरसीएच औषधियों और उपस्करों की आपूर्ति'' - 25400.00 लाख रु.; और

(ङ) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - आरसीएच औषधियों और उपस्करों की आपूर्ति'' - 400.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(v) "Health Insurance (Urban Health Mission)" – Rs.800.00 lakhs.

Provisions under the above thirty six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vi) "National Programme for Prevention and Control of Diabetes, Cardiovascular Disease and stroke" – Rs.300.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(vii) "District Hospitals" – Rs.700.00 lakhs – due to non-taking off of the scheme.

(D) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Public Health – Prevention and Control of Diseases - Integrated Disease Surveillance Project" – Rs.1600.00 lakhs – due to non-receipt of demand from the State Governments.

(b) "Family Welfare – Reproductive and Child Health – Supply of RCH Drugs & Equipments" – Rs.25400.00 lakhs; and

(E) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Family Welfare – Reproductive and Child Health – Supply of RCH Drugs & Equipments" – Rs.400.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalisation of agreement with United Nations Office for Project Services (UNOPS).

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2210'' -

(क) ''चिकित्सा शिक्षा,प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी'' -

(i) ''कैंसर अनुसंधान'' -11100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 193.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 11293.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 6866.16 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता का अव्ययित शेष उपलब्ध होने, क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और विकिरण चिकित्सा सुविधाओं के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ii) ''क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी'' - 6500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 445.90 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6945.90 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 529.66 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) नए स्थापित अति विशिष्ट ब्लाकों के लिए स्वीकृत संकाय पदों और अन्य तकनीकी पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(iii) ''भारतीय चिकित्सा परिषद को अनुदान'' - 160.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 180.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 50.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) संस्थान के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से निधियों की आवश्यकता पूरी किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''लोक स्वास्थ्य'' -

(i) ''निदेशन और प्रशासन - विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना'' - 1235.00 लाख रु.

(A) Major Head "2210" -

(a) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –

(i) "Cancer Research" - the original provision of Rs.11100.00 lakhs was augmented to Rs.11293.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.193.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.6866.16 lakhs (including supplementary grant) - due to availability of unspent balances with Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, receipt of less proposals from Regional Cancer Centres and non-finalisation of proposals by Expenditure Finance Committee for Radio-therapy facilities.

(ii) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education & Research, Pondicherry" - the original provision of Rs.6500.00 lakhs was augmented to Rs.6945.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.445.90 lakhs. However, there was a saving of Rs.529.66 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of faculty posts and other technical posts sanctioned for newly established Super Speciality Blocks.

(iii) "Grants to Medical Council of India" – the original provision of Rs.160.00 lakhs was augmented to Rs.180.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.50.00 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of funds met through internal resources of the Institute.

(b) "Public Health" –

(i) "Direction and Administration – Port Health Establishment including Airport

के मूल प्रावधान को 166.60 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1401.60 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 264.28 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) भवनों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) ''लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं - केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली'' - 2797.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 112.30 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2909.30 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 709.63 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) भारतीय औषध महानियंत्रक द्वारा संस्थान का विनिर्माण लाइसेंस आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2211'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय'' - 894.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 160.25 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1054.25 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 258.16 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(ख) ''ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र में व्यय'' - 411.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 245.40 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 656.40 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 300.61 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित वेतनमानों को अंतिम रूप न दिए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(ग) ''प्रशिक्षण - ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़'' - 772.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख

Health Organisation" - the original provision of Rs.1235.00 lakhs was augmented to Rs.1401.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.166.60 lakhs. However, there was a saving of Rs.264.28 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards repairs and maintenance of buildings.

(ii) "Public Health Laboratories – Central Research Institute, Kasauli" - the original provision of Rs.2797.00 lakhs was augmented to Rs.2909.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.112.30 lakhs. However, there was a saving of Rs.709.63 lakhs (including supplementary grant) - due to suspension of manufacturing license of the Institute by the Drug Controller General of India.

(B) Major Head "2211" –

(a) "Direction and Administration – Regional Health Offices" – the original provision of Rs.894.00 lakhs was augmented to Rs.1054.25 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.160.25 lakhs. However, there was a saving of Rs.258.16 lakhs (including supplementary grant); and

(b) "Rural Family Welfare Services – Expenditure in Union Territories without legislature" - the original provision of Rs.411.00 lakhs was augmented to Rs.656.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.245.40 lakhs. However, there was a saving of Rs.300.61 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of revised pay scales and non-filling up of vacant posts.

(c) "Training – Rural Health Training Centre, Najafgarh" - the original provision of

रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 782.30 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 217.66 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

Rs.772.30 lakhs was augmented to Rs.782.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.217.66 lakhs (including supplementary grant) - due to non-approval of proposals for establishment of Centre of Excellence for Training.

(घ) "जन शिक्षा - जन डाक स्कीम" - 314.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 68.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 382.10 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 154.31 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) भवन की नवीकरण योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(d) "Mass Education – Mass Mailing Scheme" - the original provision of Rs.314.10 lakhs was augmented to Rs.382.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.68.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.154.31 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of the renovation plan of the building.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" -

(A) Major Head "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(a) "Urban Health Services – Allopathy" –

(i) "निदेशन और प्रशासन - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय" - 2562.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 517.40 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3079.40 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कार्यालय उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी बिल प्राप्त न होने और सेवानिवृत कार्मिकों के वेतन निर्धारण संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 118.77 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(i) "Direction and Administration – Directorate General of Health Services" – the original provision of Rs.2562.00 lakhs was augmented to Rs.3079.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.517.40 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.118.77 lakhs – due to non-receipt of bills towards procurement of office equipments and non-finalisation of pay fixation cases of retired personnel.

(ii) "चिकित्सा भंडार संगठन - डिपो" - 2700.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 327.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3027.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 35.02 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ii) "Medical Stores Organisation – Depots" – the original provision of Rs.2700.00 lakhs was augmented to Rs.3027.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.327.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.35.02 lakhs; and

(ख) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी'' -

(i) ''अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर को अनुदान'' - 1700.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 108.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1808.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 55.01 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सेवानिवृत कार्मिकों के वेतन निर्धारण संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(ii) ''राजकुमारी अमृत कौर परिचर्या कालेज, नई दिल्ली'' - 397.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 46.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 443.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 13.61 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ग) ''लोक स्वास्थ्य'' -

(i) ''लोक स्वास्थ्य शिक्षा - बाल देख-रेख प्रशिक्षण केंद्र, सिंगूर'' - 775.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 280.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1055.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो उपभोग्य वस्तुओं और पूर्तिकर्त्ताओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 97.25 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''अन्य व्यय - लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान'' - 2524.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 356.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2880.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सेवानिवृत कार्मिकों के वेतन निर्धारण संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 83.07 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) “Medical Education, Training and Research – Allopathy” -

(i) “Grants to All India Institute of Speech & Hearing, Mysore” - the original provision of Rs.1700.00 lakhs was augmented to Rs.1808.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.108.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.55.01 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of pay fixation cases of retired personnel.

(ii) “Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi” - the original provision of Rs.397.00 lakhs was augmented to Rs.443.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.46.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.13.61 lakhs – due to non-filling up of vacant posts.

(c) “Public Health” –

(i) “Public Health Education – Child Care Training Centre, Singur” – the original provision of Rs.775.00 lakhs was augmented to Rs.1055.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.280.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.97.25 lakhs – due to requirement of less funds towards consumable and suppliers.

(ii) “Other Expenditure – Grants to Lala Ram Sarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi” - the original provision of Rs.2524.00 lakhs was augmented to Rs.2880.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.356.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.83.07 lakhs – due to non-finalisation of pay fixation cases of retired personnel.

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - मुख्यालय में तकनीकी स्कंध" - 728.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1028.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संशोधित वेतनमानों को अंतिम रूप न दिए जाने और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 34.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "प्रशिक्षण" -

(i) "अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई" - 1525.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 164.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1689.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संस्थान के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण 63.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई" - 188.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 238.30 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो स्थापना व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 33.53 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ग) "प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - मुख्यालय पर व्यय" - 300.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 125.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 425.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सेवानिवृत कार्मिकों के संशोधित वेतन को अंतिम रूप न दिए जाने और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 99.64 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2211" -

(a) "Direction and Administration – Technical Wing at Headquarters" - the original provision of Rs.728.00 lakhs was augmented to Rs.1028.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.34.10 lakhs – due to non-finalisation of revised pay scales and non-filling up of vacant posts.

(b) "Training" -

(i) "International Institute for Population Sciences, Mumbai" - the original provision of Rs.1525.00 lakhs was augmented to Rs.1689.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.164.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.63.50 lakhs – due to availability of unspent balance with the institute.

(ii) "Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai" - the original provision of Rs.188.30 lakhs was augmented to Rs.238.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.33.53 lakhs – due to requirement of less funds towards establishment expenses.

(c) "Reproductive & Child Health – Expenditure at Headquarters" - the original provision of Rs.300.00 lakhs was augmented to Rs.425.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.125.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.99.64 lakhs – due to non-finalisation of the revised pay in respect of the retired personnel and non-filling up of vacant posts.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2210'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य व्यय - निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर किया जाने वाला व्यय'' - 3200.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च शिक्षण संस्थाओं से निधियों की कम मांग होने के कारण हुई।

(खा) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पताल एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकारों के अस्पतालों का उन्नयन'' - 1653.52 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा को खराब प्रतिक्रिया मिलने और प्रक्षेपित पैकेज का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''लोक स्वास्थ्य'' -

(क) ''रोगों की रोकथाम और नियंत्रण'' -

(i) ''राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 14359.19 लाख रु. की बचत (46515.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य मलेरिया नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा राज्य कार्य योजना प्रस्तुत न किए जाने और राज्य सरकारों द्वारा बहुद्देश्यीय कामगारों की भर्ती न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों को नियंत्रित करने संबंधी कार्यक्रम'' - 722.40 लाख रु. की बचत (2450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने और लवण जांच किटों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(iii) ''राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम'' - 5657.06 लाख रु. की बचत (126300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों और सामाजिक विपणन संगठनों से निरोध की कम मांग होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head – "2210" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services – Allopathy – Other Expenditure – Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee" - saving of Rs.3200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to less demand of funds from the Institutions of higher learning.

(B) "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals" - saving of Rs.1653.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to poor response to tender and non-execution of projected package.

(C) "Public Health" –

(a) "Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Vector Borne Diseases Control Programme" - saving of Rs.14359.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.46515.40 lakhs) was due to non-submission of State Action Plan by State Malaria Control Societies and non-recruitment of Multi Purpose Workers by the State Governments.

(ii) "Iodine Deficiency Disorders Control Programme" - saving of Rs.722.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2450.00 lakhs) was due to receipt of less number of suitable proposals and non-finalisation of procurement process for salt testing kits.

(iii) "National AIDS Control Programme" - saving of Rs.5657.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.126300.00 lakhs) was due to less demand for condoms from State Governments and social marketing organisations.

(iv) ''राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम'' - 3473.78 लाख रु. की बचत (5800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और जन प्रचार अभियान की शुरूआत देर से होने के कारण हुई।

(ख) ''औषध नियंत्रण - केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन'' - 149.34 लाख रु. की बचत (2025.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय फार्माकोपोइल आयोग जैसे नए सृजित स्वायत्त निकाय को बडे स्थापना का अंतरण किए जाने की वजह से वेतन एवं भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) ''सेरा/वैक्सीन का विनिर्माण - बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई'' - 768.97 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय औषध महानियंत्रक द्वारा विनिर्माण लाइसेंस को आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''लोक स्वास्थ्य शिक्षा - अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता'' - 602.45 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन की मरम्मत और रख-रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ङ) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''हज यात्रियों को टीका लगाने के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की अधिप्राप्ति'' - 256.96 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अप्रयुक्त उपलब्ध वैक्सीन की आपूर्ति किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत नई पहल'' - 1120.61 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत

(iv) "National Mental Health Programme" - saving of Rs.3473.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5800.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals from State Governments, non-receipt of utilisation certificates and late start of media campaign.

(b) "Drugs Control – Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of Rs.149.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2025.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay & allowances owing to transfer of sizeable establishment to the newly created autonomous body namely Indian Pharmacopoeil Commission.

(c) "Manufacture of Sera/Vaccine – B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" - saving of Rs.768.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to suspension of the manufacturing licence by the Drug Controller General of India.

(d) "Public Health Education – All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata" - saving of Rs.602.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards repairs and maintenance of building.

(e) "Other Expenditure" –

(i) "Procurement of Meningitis Vaccine for Innoculation of Haj Pilgrims" - saving of Rs.256.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to availability of unutilised vaccine out of supplies made during previous year.

(ii) "New Initiatives under Central Schemes" - saving of Rs.1120.61 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक विलंबों की वजह से कुछ स्कीमों को शुरू न किए जाने की वजह से हुई।

sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to non-taking off of some schemes owing to procedural delays.

(iii) ''एकीकृत रोग निगरानी परियोजना'' - 3036.71 लाख रु. की बचत (5300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में सलाहकार रखे जाने और राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(iii) "Integrated Disease Surveilance Project" - saving of Rs.3036.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5300.00 lakhs) was due to engagement of lesser number of consultants and availability of unspent balances with State Health Societies.

(iv) ''भोजन और औषधियों के लिए क्षमता निर्माण परियोजना - बाह्य सहायता प्राप्त संघटक'' - 4195.67 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी सहायता के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(iv) "Capacity Building Project for Food and Drugs – Externally Aided Component" - saving of Rs.4195.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to non-materialisation of foreign assistance.

(v) ''स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन'' - 18210.00 लाख रु. की बचत (19600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई पहल वाली स्कीमों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(v) "Human Resources for Health" - saving of Rs.18210.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19600.00 lakhs) was due to slow progress of new initiatives schemes.

(च) ''सामान्य - स्वास्थ्य सांख्यिकी और मूल्यांकन - स्वास्थ्य सूचना और निगरानी पद्धतियों का सुदृढ़ीकरण'' - 167.67 लाख रु. की बचत (330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और सरकारी अधिवक्ता के शुल्क की कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(f) "General – Health Statistics and Evaluation – Strengthening of Health Information and Monitoring Systems" - saving of Rs.167.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.330.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less payment of Government advocate fees.

(V) मुख्य शीर्ष ''2211'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head – "2211" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''प्रशिक्षण - पुरूष भागीदारी'' - 157.33 लाख रु. की बचत (230.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रम कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(A) "Training – Male Participation" - saving of Rs.157.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.230.50 lakhs) was due to conducting of less number of training programmes.

(खा) ''जन शिक्षा'' -

(B) "Mass Education" –

(क) ''मुख्यालय में कार्यकलाप'' - 103.93 लाख रु. की बचत (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Activities at Headquarters" - saving of Rs.103.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2200.00 lakhs);

(ख) ''सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच परियोजना'' - 4553.12 लाख रु. की बचत (9067.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''सूचना, शिक्षा और संचार - किशोर स्वास्थ्य (आरसीएच)'' - 114.07 लाख रु. की बचत (505.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) ''पीएनडीटी अधिनियम संबंधी सूचना, शिक्षा और संचार'' - 549.13 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) ''सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जन प्रचार इकाईयों के माध्यम से व्यय'' - 955.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें मीडिया योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(गा) ''चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित) - अमरीकी सहायता प्राप्त परियोजना - एसआईएफपीएसए, उत्तर प्रदेश, लखनऊ'' - 2604.12 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बेंचमार्कों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(घा) ''प्रजनन और बाल स्वास्थ्य'' -

(क) ''आसीएच में प्रशिक्षण'' - 219.00 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कम संख्या में किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''आरसीएच में अनुसंधान एवं अध्ययन कार्यकलाप'' - 246.83 लाख रु. की बचत (540.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(b) "Information, Education and Communication – RCH Project" - saving of Rs.4553.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9067.00 lakhs);

(c) "Information, Education and Communication – Adolescent Health (RCH)" - saving of Rs.114.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.505.00 lakhs);

(d) "Information, Education and Communication on PNDT Act" - saving of Rs.549.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs); and

(e) "Expenditure through Media Units of Ministry of Information and Broadcasting" - saving of Rs.955.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to non-finalisation of Media Plan.

(C) "Selected Area Programmes (including India Population Project) – USAID assisted Project-SIFPSA, U.P., Lucknow" - saving of Rs.2604.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-achievement of benchmarks.

(D) "Reproductive and Child Health" -

(a) "Training in RCH" - saving of Rs.219.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to conducting of less number of training programmes.

(b) "Research & Study activities in RCH" - saving of Rs.246.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.540.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years.

(ग) "औषधियों एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति (वैक्सीन आदि को छोडकर)'' - 12284.34 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति आदेशों को विलंब से अंतिम रूप दिए जाने की वजह से आदेश प्रस्तुत किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(घ) "नेमी टीकाकरण कार्यक्रम'' - 33262.32 लाख रु. की बचत (61500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा हेपेटाइटिस बी स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में वैक्सीन आदि की आपूर्ति पर व्यय'' - 1035.70 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा हेपेटाइटिस बी स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और दाता सहायता में वृद्धि होने के कारण हुई।

(ङ) "अन्य सेवाएं एवं आपूर्तियां'' -

(क) "गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन'' - 188.56 लाख रु. की बचत (2702.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अदालती मामले की वजह से मैसर्स भारतीय औषध एवं भेषज लिमिटेड को पूर्ति आदेश का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "परिवार कल्याण सामग्री की नि:शुल्क आपूर्ति'' - 2363.21 लाख रु. की बचत (6500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीयू-टी और इमरजेंसी पिल्स की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(चा) "अन्य व्यय'' -

(क) "राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय'' - 107.02 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(c) "Procurement of Drugs & Equipments (Other than Vaccines etc.)" - saving of Rs.12284.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) was due to delay in placing orders owing to late finalisation of procurement orders.

(d) "Routine Immunisation Programme" - saving of Rs.33262.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.61500.00 lakhs) was due to non-approval of the Hepatitis B scheme by the Cabinet.

(e) "Expenditure on Supply of Vaccines etc. in UTs without legislature" - saving of Rs.1035.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to non-approval of the Hepatitis B scheme by the Cabinet and increased donor support.

(E) "Other Services & Supplies" -

(a) "Social Marketing of Contraceptives" - saving of Rs.188.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2702.00 lakhs) was due to non-execution of supply order to M/s. Indian Drugs & Pharmaceutical Limited owing to Court case.

(b) "Free Supply of FP Material" - saving of Rs.2363.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6500.00 lakhs) was due to less procurement of Cu-T and emergency pills.

(F) "Other Expenditure" -

(a) "Measures under National Population Policy" - saving of Rs.107.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to less requirement of funds towards insurance premium to the Insurance Company.

(ख) ''राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग'' - 307.84 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों द्वारा कम विदेश दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना'' - 1665.09 लाख रु. की बचत (1781.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) ''प्रबंधन सूचना प्रणाली'' - 10930.26 लाख रु. की बचत (13700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा नए पदों को स्वीकृति प्रदान न किए जाने की वजह से भारत के महापंजीयक द्वारा वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं तथा आपूर्तियां - परिवार कल्याण सामग्री की नि:शुल्क आपूर्ति'' - 303.04 लाख रु. की बचत (5700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग होने के कारण हुई।

(खा) ''परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं'' -

(क) '' शहरी परिवार कल्याण केंद्र'' - 693.47 लाख रु. की बचत (7755.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का पुनर्गठन'' - 582.08 लाख रु. की बचत (6986.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) ''परिवार कल्याण - प्रशिक्षण'' -

(क) ''एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण'' - 559.08 लाख रु. की बचत (7068.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "National Commission on Population" - saving of Rs.307.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to less foreign visits by officers.

(c) "Involvement of NGOs in FP Programme under Public-Private Partnership-PPP" - saving of Rs.1665.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1781.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments.

(d) "Management Information System" - saving of Rs.10930.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13700.00 lakhs) was due to non-taking up of Annual Health Survey by Registrar General of India owing to non-sanctioning of new posts by Ministry of Finance.

(VI) Under Major Head – "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of FP Material" - saving of Rs.303.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5700.00 lakhs) was due to less demand from the State Governments.

(B) "Family Welfare – Urban Family Welfare Services" -

(a) "Urban FW Centres" – saving of Rs.693.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7755.00 lakhs);

(b) "Revamping of Urban FW Centres" - saving of Rs.582.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6986.00 lakhs);

(C) "Family Welfare – Training" -

(a) "Training of ANM/LHVs" - saving of Rs.559.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7068.00 lakhs);

(ख) "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र'' - 102.53 लाख रु. की बचत (1512.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) "परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव'' - 1415.05 लाख रु. की बचत (30864.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप-केंद्र'' - 3852.02 लाख रु. की बचत (232960.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(चा) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - नेमी टीकाकरण कार्यक्रम'' - 27732.96 लाख रु. की बचत (44130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा हेपेटाइटिस बी स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(छा) "लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण'' -

(क) "राष्ट्रीय रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य संघटक)'' - 1611.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय सहायता के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक)'' - 227.47 लाख रु. की बचत (10565.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डीडीटी दरों में कमी आने के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (शहरी)'' - 1856.31 लाख रु. की बचत (1955.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालय

(b) "Health & FW Training Centre" - saving of Rs.102.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1512.00 lakhs);

(D) "Family Welfare – Direction & Administration – Maintenance of State/Distt. FW Bureaux" - saving of Rs.1415.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30864.00 lakhs); and

(E) "Family Welfare – Rural Family Welfare Services – Sub-Centres" - saving of Rs.3852.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.232960.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to availability of unspent balances with the State Governments.

(F) "Family Welfare – Reproductive and Child Health – Routine Immunisation Programme" - saving of Rs.27732.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.44130.00 lakhs) was due to non-approval of Hepatitis B scheme by the Cabinet.

(G) "Public Health – Prevention and Control of Diseases" -

(a) "National Trachoma and Blindness Control Programme (General Component)" - saving of Rs.1611.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for financial assistance.

(b) "National Vector Borne Disease Control Programme (Rural) (General Component)" - saving of Rs.227.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10565.40 lakhs) was due to reduction in DDT rates.

(c) "National Vector Borne Disease Control Programme (Urban)" - saving of Rs.1856.31 lakhs (against the sanctioned

की एकीकृत क्रय समिति की सिफारिशों के अनुसार पायरोथर्म सार टेमिफोस और वीटीआई की अधिप्राप्ति के विकेंद्रीकृत किए जाने और वित्तीय सहायता के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) ''काला ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम'' - 535.52 लाख रु. की बचत (2225.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायता प्राप्त संघटक)'' - 1374.90 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(च) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य संघटक)'' - 377.26 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम मांग होने के कारण हुईं।

(छ) ''राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (ई.ए.सी.)'' - 4059.26 लाख रु. की बचत (7759.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डीडीटी की दरों में कमी आने और मंत्रालय की एकीकृत क्रय समिति की सिफारिशों के अनुसार प्राइमाक्विनीन और क्विनीन सल्फेट की गोलियों की अधिप्राप्ति का विकेंद्रीकरण किए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव'' - 284.00 लाख रु. की बचत (574.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

provision of Rs.1955.10 lakhs) was due to decentralisation of procurement of pyrethrum extract temephos and Bti as per the recommendations of the Integrated Purchase Committee of the Ministry and receipt of less proposals for financial assistance.

(d) "Kala-Azar Control Programme" - saving of Rs.535.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2225.50 lakhs);

(e) "National T.B. Control Programme (Externally Aided Component)" - saving of Rs.1374.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs); and

(f) "National T.B. Control Programme (General Component)" - saving of Rs.377.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less demand from the State Governments.

(g) "National Vector Borne Diseases Control Programme (Rural) (E.A.C.)" – saving of Rs.4059.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7759.00 lakhs) was due to reduction in DDT rates and decentralisation of procurement of Primaquine and Quinine Sulphate tablets as per recommendations of Integrated Purchase Committee of the Ministry.

(VII) Under Major Head – "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Family Welfare – Direction & Administration – Maintenance of State/Distt. FW Bureaux" - saving of Rs.284.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.574.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the Union Territory Governments.

(खा) ''परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल कल्याण'' -

(क) ''नेमी टीकाकरण कार्यक्रम'' - 1074.09 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा हेपेटाइटिस बी स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से मांग कम होने के कारण हुई।

(ख) ''पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम'' - 202.79 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य सहायता की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुई।

(VIII) सात शीर्षों के अंतर्गत 470.16 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 85 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (241875.70 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में 36379.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2210'' -

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी'' -

(i) ''निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय'' - 491.84 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 430.35 लाख रु. था।

(ii) ''केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना'' - 12206.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 10946.30 लाख रु. था।

(B) "Family Welfare – Reproductive and Child Health" -

(a) "Routine Immunisation Programme" - saving of Rs.1074.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs) was due to non-approval of Hepatitis B scheme by the Cabinet and less demand from Union Territory Governments.

(b) "Pulse Polio Immunisation Programme" - saving of Rs.202.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to more receipt of External Assistance.

(VIII) Under seven heads savings of Rs.470.16 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 15 percent to 85 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (Rs.241875.70 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.36379.00 lakhs in October, 2008 and February, 2009 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services – Allopathy" –

(i) "Direction and Administration – National Medical Library" – Rs.491.84 lakhs. Actual excess, however, was Rs.430.35 lakhs.

(ii) "Central Governments Health Scheme – Setting up of Dispensaries/Hospitals" – Rs.12206.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.10946.30 lakhs.

(iii) ''अस्पताल और औषधालय'' -

(1) ''सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली'' - 306.84 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 269.04 लाख रु. था।

(2) ''डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली'' - 1825.01 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1747.71 लाख रु. था।

(3) ''कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली'' - 429.97 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 355.97 लाख रु. था।

(ख) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी'' -

(i) ''बल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को अनुदान'' - 2439.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2437.00 लाख रु. था।

(ii) ''लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली'' - 691.30 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 427.94 लाख रु. था।

(iii) ''अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली'' - 18600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 13600.00 लाख रु. था।

(iv) ''राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान'' - 1903.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1200.00 लाख रु. था।

(v) ''स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान'' - 6500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7796.00 लाख रु. था।

(vi) ''इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग को अनुदान'' - 5900.00

(iii) "Hospitals and Dispensaries" –

(1) "Safdarjung Hospital, New Delhi" – Rs.306.84 lakhs. Actual excess, however, was Rs.269.04 lakhs.

(2) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" – Rs.1825.01 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1747.71 lakhs.

(3) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" – Rs.429.97 lakhs. Actual excess, however, was Rs.355.97 lakhs.

(b) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –

(i) "Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi" – Rs.2439.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2437.00 lakhs.

(ii) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital, New Delhi" – Rs.691.30 lakhs. Actual excess, however, was Rs.427.94 lakhs.

(iii) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" - Rs.18600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.13600.00 lakhs.

(iv) "Grants to National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore" – Rs.1903.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1200.00 lakhs.

(v) "Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" – Rs.6500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7796.00 lakhs.

(vi) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical

लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5772.00 लाख रु. था।

(vii) ''क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल'' - 5539.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5402.00 लाख रु. था।

(viii) ''लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर'' - 2450.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2443.00 लाख रु. था।

(ix) ''क्षेत्रीय पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान संस्थान, ऐजवाल'' - 825.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 813.00 लाख रु. था।

(ग) ''लोक स्वास्थ्य'' -

(i) ''प्रशिक्षण - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर'' - 75.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 57.73 लाख रु. था।

(ii) ''रोगों की रोकथाम और नियंत्रण'' -

(1) ''रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम'' - 4117.96 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4071.67 लाख रु. था।

(2) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 3536.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3473.21 लाख रु. था।

(3) ''राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 622.45 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 522.35 लाख रु. था।

(iii) ''औषध नियंत्रण - भारतीय फार्माकोपोइया आयोग'' - 335.00 लाख रु.।

Sciences, Shillong" – Rs.5900.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5772.00 lakhs.

(vii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - Rs.5539.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5402.00 lakhs.

(viii) "Lokpriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" - Rs.2450.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2443.00 lakhs.

(ix) "Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal" - Rs.825.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.813.00 lakhs.

(c) "Public Health" -

(i) "Training – Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur" – Rs.75.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.57.73 lakhs.

(ii) "Prevention and Control of Diseases" –

(1) "Trachoma and Blindness Control Programme" – Rs.4117.96 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4071.67 lakhs.

(2) "National T.B. Control Programme" – Rs.3536.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3473.21 lakhs.

(3) "National Leprosy Control Programme" – Rs.622.45 lakhs. Actual excess, however, was Rs.522.35 lakhs.

(iii) "Drugs Control – Indian Pharmacopoeia Commission" – Rs.335.00 lakhs.

(iv) ''अन्य व्यय'' -

(1) ''राष्ट्रीय आरोग्य निधि'' - 7600.00 लाख रु.।

(2) ''तंबाकू मुक्ति पहल'' - 1626.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 986.17 लाख रु. था।

(घ) ''सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - विश्व स्वास्थ्य संगठन को अंशदान'' - 183.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 182.32 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2211'' -

(क) ''प्रजनन और बाल स्वास्थ्य'' -

(i) ''राज्य पी आई पी के लिए आर सी एच लचीला पूल'' - 84025.17 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 83742.02 लाख रु. था।

(ii) ''पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम'' - 7344.32 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7276.37 लाख रु. था।

(ख) ''अन्य व्यय - मिशन लचीला पूल'' - 63985.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 63955.15 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' -

(क) ''योजनेतर अनुदान - सामान्य (चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य) - अन्य अनुदान - गरीबों को अस्पताल में भर्ती करने पर होने वाले व्यय के लिए सहायता'' - 133.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 131.25 लाख रु. था।

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम'' - 6537.84 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 6537.69 लाख रु. था।

(iv) "Other Expenditure" –

(1) "Rashtriya Arogya Nidhi" – Rs.7600.00 lakhs.

(2) "Tobacco Free Initiatives" – Rs.1626.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.986.17 lakhs.

(d) "General – International Co-operation – Contribution to World Health Organisation" – Rs.183.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.182.32 lakhs.

(B) Major Head "2211" –

(a) "Reproductive & Child Health" -

(i) "RCH Flexible Pool for State PIPs" – Rs.84025.17 lakhs. Actual excess, however, was Rs.83742.02 lakhs.

(ii) "Pulse Polio Immunisation Programme" – Rs.7344.32 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7276.37 lakhs.

(b) "Other Expenditure – Mission Flexible Pool" – Rs.63985.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.63955.15 lakhs.

(C) Major Head "3601" –

(a) "Non-Plan Grants – General (Medical and Public Health) – Other Grants – Assistance towards expenditure on Hospitalisation of the Poor" – Rs.133.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.131.25 lakhs.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Family Welfare – Reproductive and Child Health – Pulse Polio Immunisation Programme" – Rs.6537.84 lakhs. Actual excess, however, was Rs.6537.69 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं'' -

(क) ''शहरी परिवार कल्याण केंद्र'' - 754.00 लाख रु.।

(ख) ''शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का पुनर्गठन'' - 94.00 लाख रु.।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''3606'' - ''अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यू.के. से सहायता - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता'' - 800.00 लाख रु.।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2210'' -

(क) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - जवाहरलाल चिकित्सा कालेज, पांडिचेरी'' - 248.50 लाख रु. का अधिक व्यय (1118.75 लाख . के पूरक अनुदान सहित 4094.75 लाख . के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''लोक स्वास्थ्य'' -

(i) ''रोगों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय नशीली दवा व्यसनरोधी कार्यक्रम'' - 168.65 लाख रु. का अधिक व्यय (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''अन्य व्यय'' -

(1) ''अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधिमंडल'' - 180.01 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश मंत्रालय से प्राप्त किए गए

(D) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Family Welfare – Urban Family Welfare Services" –

(a) "Urban FW Centres" - Rs.754.00 lakhs.

(b) "Revamping of Urban FW Centres" – Rs.94.00 lakhs.

(E) Major Head "3606" – "Assistance from Deptt. for International Development (DFID) U.K. – Material Assistance for National T.B. Control Programme" – Rs.800.00 lakhs.

(II) Savings were offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" –

(a) "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Jawaharlal Medical College, Pondicherry" – excess of Rs.248.50 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4094.75 lakhs including supplementary grant of Rs.1118.75 lakhs); and

(b) "Public Health" –

(i) "Prevention and Control of Diseases – National Drug De-addiction Programme" – excess of Rs.168.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(ii) "Other Expenditure" -

(1) "Delegations to International Health Conferences" – excess of Rs.180.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to clearance of pending liability of

विदेश यात्रा बिलों के लिए पिछले वर्ष की लंबित देयता का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

previous year towards foreign travel bills received from the Ministry of External Affairs.

(2) ''अभिघात केंद्रों संबंधी क्षमता निर्माण के लिए सहायता'' - 434.66 लाख रु. का अधिक व्यय (10600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(2) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" – excess of Rs.434.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10600.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 55.81 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of Rs.55.81 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	79843.00			
पू.	S.	1.00	68671.00	66219.54	–2451.46
पु.	R.	–11173.00			
मुख्य शीर्ष ''4211'' परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4211" Capital Outlay on Family Welfare				
मू.	O.	875.00	250.00	. .	–250.00
पु.	R.	–625.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Head Major Head "4216" Capital Outlay on Housing					
मू.	O.	12450.00				
पू.	S.	1.00		8023.00	7956.60	–66.40
पु.	R.	–4428.00				

(I) 23283.00 लाख रु. का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 23180.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य व्यय - निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर किया जाने वाला व्यय" - 3000.00 लाख रु. स्कीम शुरू न किए जाने के कारण थे।

(ख) "लोक स्वास्थ्य" -

(i) "रोगों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 305.00 लाख रु. आपूर्तियों के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलंब होने के कारण थे।

(ii) "अन्य कार्यक्रम" -

(1) "बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" - 300.00 लाख रु.; और

(2) "राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र" - 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को शुरू न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.23283.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.23180.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4210" –

(a) "Urban Health Services – Other Expenditure – Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee" – Rs.3000.00 lakhs - due to non-taking off of the scheme.

(b) "Public Health"–

(i) "Prevention and Control of Diseases – National Vector Borne Disease Control Programme" – Rs.305.00 lakhs – due to delay in procurement process for supplies.

(ii) "Other Programmes" -

(1) "National Programme for Health Care for Elderly" - Rs.300.00 lakhs; and

(2) "National Centre for Disease Control" – Rs.200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-taking off of the scheme.

(3) ''परिचर्या/कालेजों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण'' - 2000.00 लाख रु.; और

(4) ''पराचिकित्सा संस्थान के सृजन का सुदृढ़ीकरण'' - 13500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4211'' - ''अन्य व्यय'' -

(क) ''परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई'' - 550.00 लाख रु. अनुमोदन में प्रक्रियात्मक विलंब होने की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नए निर्माण कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण थे।

(ख) ''ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़'' - 325.00 लाख रु. प्रस्तावित पूंजीगत निर्माण कार्य के मूर्त रूप न लेने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर किया जाने वाला व्यय'' - 3000.00 लाख रु. नई स्कीम शुरू न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''4210'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं'' -

(क) ''केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना'' - 245.70 लाख रु. की बचत (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1001.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण

(3) "Upgradation/Strengthening of Nursing/Colleges" – Rs.2000.00 lakhs; and

(4) "Strengthening Creation of Paramedical Institute" – Rs.13500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-implementation of the scheme.

(B) Major Head "4211" – "Other Expenditure" –

(a) "Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai" – Rs.550.00 lakhs - due to non-execution of new construction work by Central Public Works Department owing to procedural delay in approval.

(b) "Rural Health Training Centre, Najafgarh" – Rs.325.00 lakhs – due to non-materialisation of the proposed capital works.

(C) Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Other Housing – Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee"– Rs.3000.00 lakhs – due to non-taking off of the new scheme.

(II) Under Major Head "4210" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services" –

(a) "Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries/Hospitals" – saving of Rs.245.70 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1001.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in February, 2009) was due to slow progress in renovation

विभाग द्वारा सीजीएचएस औषधालयों के नवीकरण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) ''अस्पताल और औषधालय - कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली'' - 148.84 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पताल भवन के नवीकरण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमति एस.के. अस्पताल'' - 1437.83 लाख रु. की बचत (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) ''लोक स्वास्थ्य - लोक स्वास्थ्य शिक्षा - एआईआईएच एवं पीएच, कोलकाता'' - 500.35 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पताल और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन'' - 833.68 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(खा) ''क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जिपमेर, पांडिचेरी'' - 1241.34 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने लिए के आंशिक रूप से (9992.13 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक

work of CGHS dispensaries by Central Public Works Department.

(b) "Hospitals and Dispensaries – Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" – saving of Rs.148.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to slow progress in renovation work of the hospital building.

(B) "Medical Education, Training & Research – Allopathy – Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital" – saving of Rs.1437.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2900.00 lakhs);

(C) "Public Health – Public Health Education – AIIH&PH, Kolkata" – saving of Rs.500.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Other Housing" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals" – saving of Rs.833.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow progress of implementation of the scheme.

(B) "Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Pondicherry" – saving of Rs.1241.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs) was due to slow progress of construction work by Central Public Works Department.

4.(I) The above savings were partly (Rs.9992.13 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of

अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4210'' -

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अस्पताल और औषधालय'' -

(i) ''सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली'' - 1607.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1699.12 लाख रु. था।

(ii) ''केंद्रीय मनश्चिकित्सीय संस्थान, रांची'' - 298.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 290.88 लाख रु. था।

(ख) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी'' -

(i) ''क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जिपमेर, पांडिचेरी'' - 4184.13 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4141.47 लाख रु. था।

(ii) ''एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पताल और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन'' - 3264.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1888.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - केंद्रीय मनश्चिकित्सीय संस्थान, रांची'' - 639.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 632.20 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''4210'' - ''लोक स्वास्थ्य - अन्य कार्यक्रम - केंद्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पताल भवन के नवीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Rs.2.00 lakhs in October, 2008 and February, 2009 under the following major heads:-

(A) Major Head "4210" –

(a) "Urban Health Services – Hospitals and Dispensaries" -

(i) "Safdarjung Hospital, New Delhi" – Rs.1607.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1699.12 lakhs.

(ii) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" – Rs.298.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.290.88 lakhs.

(b) "Medical Education, Training & Research – Allopathy" –

(i) "Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Pondicherry" – Rs.4184.13 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4141.47 lakhs.

(ii) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals" – Rs.3264.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1888.00 lakhs.

(B) Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Other Housing - Central Institute of Psychiatry, Ranchi" – Rs.639.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.632.20 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4210" - "Public Health – Other Programmes – Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chenglepattu" - excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards renovation of hospital building.